

पत्रांक: 6166

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, 10/05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

**विषय:-** कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आपकी पत्र संख्या 2074/12-1 दिनांक 25.04.2024 एवं इस कार्यालय की पत्र सं० 5005/12-1 दिनांक 05.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रकरण में चाही गयी सूचना विन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:-


**बिन्दु संख्या 1-** कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.07.2019 में प्रस्तावित समरेखण में कुल 548 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, आपके कार्यालय की पत्र सं० 1419/12-1 दिनांक 09.01.2024 से दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पुनः उक्त समरेखण का सीमांकन कर दिनांक 17.03.2024 को समरेखण में आ रहे वृक्षों की गणना की गयी, गणना करने पर विभिन्न प्रजाति के 891 वृक्ष में 0-10 के 152 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक महोदय को Whatsup से प्रेषित पत्र में विन्दु सं० 6 में 739 वृक्षों अंकित हुआ, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विन्दु सं० 06 में पातन होने वाले कुल 891 वृक्षों में से 0-10 व्यास वर्ग के 152 वृक्षों को कम करते हुए 739 वृक्ष अंकित की गयी। परन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 0-10 के 152 वृक्षों को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया है तथा प्रभावित होने वाले प्रपत्र में कुल 891 वृक्षों का पातन अंकित है, के क्रम में संदर्भित पत्र में बिन्दु सं० 06 में कलम से 891 वृक्ष अभिलिखित की गयी है। जो सही है।

**बिन्दु संख्या 2-** प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र - डुंग्री सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 12.918 है० का प्राक्कलन 2000 पौध प्रति है० तथा परिवेश पोर्टल में पार्ट - के पैरा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम -सूर्यया सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 12.918 है० भूमि का प्राक्कलन 1100 पौध प्रति है० प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन व प्राक्कलन में भी भ्रम की स्थिति है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डुंग्री चयनित किया गया था जो विवादित होने के कारण नये क्षेत्र ग्राम -सूर्यया सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 12.918 है० भूमि का चयन किया गया। प्रस्ताव में 2000 पौध प्रति है० का प्राक्कलन त्रुटिवश संलग्न हो गया जिससे संशोधित कर ग्राम सूर्यया सिविल सोयम भूमि क्षेत्रफल 12.918 है० भूमि का 1100 पौध प्रति है० के अनुसार प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नक:-** प्रस्ताव की 03 प्रतियां।

भवदीय,


  
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 6166

/12-1 दिनांकित।

**प्रतिलिपि:-** अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

  
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।